न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 108/2024 दायर तारीख :– 18.11.2024

ओमप्रकाश पुत्र बंशीधर जाति कुमावत निवासी बाग की ढाणी किशनगढ रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल

प्रार्थी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र पीथाराम (नाम हजफ)बाग की ढाणी किशनगढ रेनवाल
2. हरि प्रसाद पुत्र बंशीधर जाति कुमावत निवासी बाग की ढाणी किशनगढ रेनवाल
3. मोहनी देवी पुत्री बंशीधर पत्नी गोपाल जाति कुमावत निवासी सुरेरा मंढा तहसील दातारामगढ जिला सीकर
4. छोटी देवी पुत्री बंशीधर पत्नी गोमाराम जाति कुमावत निवासी मंढा भीमसिंह तह0 किशनगढ रेनवाल
5. तहसीलदार कि0 रेनवाल
6. उपपंजीयक कि0 रेनवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री राम सिंह , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री लक्ष्मण सिंह विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2

निर्णय

निर्णय दिनांक 18/7/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 01 लगायत 4 व स्व पीथाराम जी के वारिश एंव हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनका सिजरा खानदान प्रार्थना पत्र में वर्णित है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के दादा स्व0 पीथाराम के पक्ष पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात कृषि भूमि वाके ग्राम कि0 रेनवाल पटवार हल्का कि0 रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान खाता संख्या नया 147 पुराना खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 701 रकबा 0.7713 चाही ए , 0.6070 जाव–ए, 0.1643 में हिस्सा 209/4611 योग 373/3074 एंव खाता संख्या नया 148 पुराना खाता संख्या 118 खसरा नम्बर 700 रकबा बंजड डोल कुल रकबा 0.0253 में हिस्सा 1/6 है एंव खाता संख्या नया 405 पुराना खाता संख्या 364 खसरा नम्बर 172 रकबा 8.5101 बारानी–2 6.4869 , बारानी–3 2.0232 , में हिस्सा 1/6 की हिस्से की खातेदारी सेटलमेंट के समय प्रार्थी के दादा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजीयात खसा संख्या 700 व 701 का प्रार्थी व अप्रार्थीण 01 व 02 के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा दिनांक 15.01.2015 को किया गया और बंटवारे अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। पक्षकारो के मध्य हुए समझौते निम्नलिखित है। 1. इकरारनामा दिनांक 18.09.2001, 2. समझौता दिनांक 05.01.09 3. समझौता दिनांक 05.01.2015 । उक्त इकारनामा दिनांक 18.09.2001 व इकरारनामा के बाद बंशीधर के उपर 70000 का कर्ज था , जिसे उनके दोनो पुत्रो ओमप्रकाश और हरिप्रसाद को समान रूप से वहन करना था। सयुंक्त परिवार की संपति 1. बाग की ढाणी 2. खसरा नम्बर 172 इसमें श्री बंशीधर जी का 1/6 हिस्सा था। 3. 701 और 700 4. आभूषण 1 जोडी चांदी की कडी और 02 सोने के कान के टोपिस , 03 सोने के गले के मांडले 4. अलग संपत्ति जो सयुंक्त परिवार की संपति की बिक्री से खरीदी गई बाग की ढाणी के मकान के पीछे स्थित 651 वर्ग गज का प्लॉट यह इकारनामा

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

पारिवारिक सम्पति के बंटवारें और कर्ज के भुगतान के लिए एक समझौते के रूप में किया गया था, जिसमं दोनो पक्षो के हिस्से का स्पष्ट रूप से उल्लेख था। इकरारनामा दिनांक 18.09.2001 के बाद प्रार्थी ओमप्रकाश को अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और अपने पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए विदेश में रोजगार, व कमाने खाने के लिए वर्ष 2002 में विदेश यू0ए0ई0 चले गए। जिसके पश्चात प्रार्थी ओमप्रकाश के विदेश जाने के बाद मात्र 2–3 माह के भीतर ही अप्रार्थी 01 बंशीधर ने खसरा नम्बर 172 को प्रार्थी ओमप्रकाश जी की बिना सहमति व बिना सूचना दिए ही बेच दिया। प्रार्थी को दादा परदादाओ से प्राप्त पुश्तैनी आराजीयात का षडयंत्र पूर्वक बेचान कर प्रार्थी को हक व अधिकारों से वंचित कर दिया उक्त किये गए बेचान की सूचना भी नहीं होने दी और न ही इस बिक्री के संबंध में उन्हे कोई विवरण प्रदान किया गया। इस अवैध बेचान के कारण , प्रार्थी ओमप्रकाश का पुश्तैनी हिस्सा भी अवैध रूप से बेचान के आधार पर दीगर व्यक्तियों जी अंतरित कर दिया गया । इसके पश्चात पुनः दिनांक 05.01.09 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य समझौता हुआ उसके पश्चात दिनांक 03.01.2015 को एक समझौता हुआ, जिसमें दोनो पक्षों के बीच सयुंक्त परिवार की संपति का विभाजन किया गया इस समझौते में प्रत्येंक पक्ष को उनकी हिस्सेदारी और सम्पति निर्धारित की गई समझौते के अनुसारः 1. ओमप्रकाश को प्राप्त सम्पतिया 1. बाग की ढाणी के मकान के पीछे का 651 वर्ग गज का प्लाट यह प्लाट श्री ओमप्रकाश को सयुंक्त परिवार की संपत्ति से प्राप्त हुआ । 2. बाग की ढाणी का मकान इस मकान का मूल्य रूपये 1000000 निर्धारित किया गया । श्री ओमप्रकाश ने हरिप्रसाद के आधे हिस्से के बदले 500000 रूपये का भुगतान किया। यह मकान संयुक्त परिवार की संपति से था। और इसे ओमप्रकाश को हस्तांतरित किया गया। खसरा नम्बर 700,701 में 500 वर्गगज का प्लॉटः यह प्लाट भी श्री ओमप्रकाश जी को सयुंक्त परिवार की संपत्ति से प्राप्त हुआ। 4. नाथू जी किरोडीवाल की भूमि के पूर्व में स्थित आधा हिस्साः यह हिस्सा भी ओमप्रकाश को प्राप्त हुआ , जो सयुंक्त परिवार की सम्पति में शामिल था। हरि प्रसाद को प्राप्त सम्पतियों 1. 500000रूपये राशि ओमप्रकाश द्वारा हरि प्रसाद के में उनके हिस्से के बदले में चुकाई गई। यह राशि श्री ओमप्रकाश द्वारा उनके हिस्से के बदले दी गई। 2. खसरा नम्बर 700 और 701 की शेष भूमि जिसमें प्रार्थी ओमप्रकाश का 500 वर्ग गज का हिस्सा था। यह भूमि सयुंक्त परिवार की संपत्ति थी। व बाकी शेष बची आराजीयात में जिसमें हरि प्रसाद का हिस्सा था। इस समझौते के अनुसार, दोनो पक्षों के बीच संपत्ति का सतुंलित विभाजन हुआ और प्रत्येंक पक्ष को उनके हिस्से का अधिकार मिला। 03.01.2015 के समझौते के पश्चात प्रार्थी कमाने खाने विदेश चला गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने आपसी षडयंत्र रचकर प्रार्थी की व अप्रार्थी की सयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात की खसरा नम्बर 701 में प्रार्थी की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए अवैध रूप से हरि प्रसाद के नाम बेचान कर दिया गया यह बेचान 05 जनवारी 2015 के समझौते मे निर्धारित हिस्से से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप ओमप्रकाश के हिस्से में कमी आई । इस कृत्य से उनके अधिकारों का उल्लंधन हुआ और उनकी संपति की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उक्त सयुंक्त खातेदारी की आराजीयात को बेचान करने केलिए मौका दिखाने के लिए भूमाफिया गिरोह के सदस्यो को उक्त आराजीयात पर मौका दिखाने के लिए लाये और प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तथा दिनांक 03.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे किये गये बेचान पत्र की प्रतिलिपि दिखाई तब जाकर प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बेचान कर दिया तथा शेष बची हुई आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है इसलिए प्रार्थी को अपने हक व अधिकारो के लिए उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

अधिकारी
रेनवाल

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 02 की ओर से वकील श्री लक्ष्मण सिंह उपस्थित हुये। व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी समस्त कथनों का विरोध किया तथा अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वादी ने उक्त वाद मे इकारनामा दिनांक 18.09.2001 व समझौता पत्र दिनांक 05.01.2009 व समझौता पत्र दिनांक 05.01.2015 को आधारित करते हुए यह वाद पेश किया गया है। जबकि उक्त दस्तावेजों के आधार पर वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है वादी ने कतई गलत व मनगंढत तथ्यों पर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है वादी ने उक्त वाद इकारनामा 18.09.2001, समझौता पत्र 05.01.2009, व समझौता दिनांक 05.01.2015 के आधार पर उक्त दावा पेश किया है परन्तु यह सभी दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने से तथा प्रोपर स्टाम्प पर लिखित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इस आधार पर भी वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। इकरारनामा दिनांक 18.01.2001 समझौता पत्र दिनांक 05.01.2009 व समझौता पत्र दिनांक 05.01.2015 पर बंशीधर जी के समस्त वारिसान के हस्ताक्षर नहीं है क्यों कि वादी ने अपने वाद में बंशीधर जी के समस्त पुत्रीयों को भी पक्षकार कायम किया है जबकि उनका इन इकारनामा पर व समझौता पत्रों पर कही भी हस्ताक्षर नहीं है। जबकि पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवारें पर बंशीधर जी के समस्त वारिसान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। वादी ने कभी भी बंशीधर जी को अपने पास नही रखा है और ना ही उनका भरण पोषण किया और ना ही कभी उनकी देखभाल की और ना ही बीमारी की अवस्था में उनको दवाईया दिलवायी। वादी ने अपने पुत्र होने कभी भी कोई फर्ज अदा नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 1 करीबन 78 साल का वृद्ध व्यक्ति था जिसकी कभी देखरेख वादी ने नहीं की है और प्रतिवादी संख्या 1 को वादी ने अपने घर से निकाल दिया था तथा उसका सामान भी हवेली में ही वर्तमान में रखा हुआ है जिस पर ताला लगा हुआ है परन्तु वादी ने बंशीधर जी को घर से निकाल दिया था। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 बंशीधर में अपने पौत्र सचिन कुमावत के पास किराये के मकान मे जयपुर रहने लग गये थैं जिनकी सार संभाल भी पौत्र सचिन कुमावत ही करता आया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रोस्टेड कैंसर का इलाज भी करवाया जिस पर उसके दो बार ऑपरेशन भी हुये परन्तु वादी ने एक रूपया भी प्रतिवादी संख्या 01 को नही दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1ने अपना ऑपरेशन करवाने हेतु जो रूपया खर्च हुआ उसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने मजबूरी वंश दिनांक 04.11.2024 को उक्त भूखण्ड का बेचान करना पडा तथा दवाईयों व हॉस्पिटल के खर्चौ के रूपये चुकाये तथा उक्त बीमारी का इलाज कराने के लिए मजबूरी वश उक्त बेचान किया गया। जो विधि सम्मत किया गया है। वादी को किसी भी प्रकार से वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है वादी ने गलत आधारों पर यह वाद पेश किया है इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 3,4 बावजूद सूचना हाजिर नहीं है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 5,6 पैरोकार सरकार है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से साबित होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का अतंरण हुआ है। आगे भी भविष्य हो सकता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण 02 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी

...ड अधिकारी
...नगढ़ रेनवाल

आराजीयात बताते हुए दावा किया है। जिसे सुरक्षित रखने का प्रार्थी को अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

वाद भूमि का अन्तरण हो चुका है। वाद भूमि को आगे भी अतंरण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है वादभूमि के अतरंण होने से प्रार्थी को नए पक्षकारों के साथ वाद लड़ना होगा, वाद व प्रार्थना पत्र के नए पक्षकार जुड़ेगे, वाद भूमि के विक्रय व खुर्दबुर्द होने से प्रार्थी वादभूमि में अपने हक हिस्सा से वंचित हो जायेगे जिस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी।

वाद भूमि के विक्रय से वाद विलष्टता व वाद बहुलता की संम्भावना है जिससे पक्षकारान को असुविधा व क्षति की संम्भावना है इसलिए वाद भूमि में दौरानें वाद यथास्थिति कायम रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 02 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तथा दिनांक 18.11.24 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की मूल वाद के निस्तारण तक पुष्टि की जाती है।

निर्णय दिनांक 18/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ किशनगढ़-रेनवाल ★ सत्यमेव जयते